

पश्चिम मध्य रेल

क.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/16



कार्यालय

मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-24.06.2016

सीआईओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय-माह मई-2016 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइट में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- 15 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)

रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मई -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मई-16	30	30	49080	49080	38	00	00

बुकथुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मई -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मई -16	00	00	00	00	00	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मई -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
मई -16	30	30	49080	49080	38	00	00

रेल अधिनियम के तहत माह मई-2016 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रू. में
137	3089	1489142
138	17821	8169786
139	0	0
141	549	211375
142	0	0
143	8	0
144	2047	1029685
145	1017	103820
146	14	6650
147	686	85200
153	0	0
154	14	48450
155	997	108780
156	299	41200
157	0	0
159	742	107000
160	8	54500
161	0	0
162	689	41950
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	48	4600
172	1	0
173	0	0
174	23	43650
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	28,052	1,15,45,788

रेसुब./पमरे.में माह मई-2016 के दौरान किये गये अच्छे कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

1.	कोटा	02.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा मोबाईल चोर को पकड़कर जी.आर.पी को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 02.05.2016 को कोटा पोस्ट के सुरक्षा पार्टी में तैनात प्रधान आरक्षक जसवन्त सिंह, प्रधान आरक्षक रामचरण मीना ,आरक्षक कर्वरपाल मीणा ,आरक्षक मुकेशचन्द मीणा की ड्यूटी गाड़ी संख्या-12416 में मथुरा से कोटा तक थी। गाड़ी के रेल्वे स्टेशन गंगपुर सिटी से रवाना होते ही सामान्य कोच में यात्रा कर रहे यात्री मनीश कुमार पुत्र चन्द्रशेखर यादव उम्र-18 वर्ष किानपुरा जिला-सारन बिहार जो कि सामान्य टिकिट नं-040182 पर नई दिल्ली से कोटा की यात्रा कर रहा था, उसका मोबाईल सैमसंग सी 3312 (कीमत 4500/-) को एक चोर द्वारा चोरी करके भागने लगा। रेसुब. सुरक्षा पार्टी द्वारा व्यक्ति को दौड़कर पकड़ लिया एवं पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम विष्णु पुत्र रामचरण उम्र-18 वर्ष निवासी-कासीराम कालौनी हाथरस (उ.प्र.) बताया एवं मोबाईल की चोरी करना स्वीकार करना बताया। रेसुब. द्वारा गाड़ी के कोटा आने पर फरियादी के साथ जीआरपी थाना कोटा में एक तहरीर के साथ उक्त मोबाईल को चोरी करके भागने वाले विष्णु को जीआरपी थाना कोटा को सुपुर्द किया गया।</p>
2.	भोपाल	03.05.16	<p>भोपाल मंडल- (भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेन से नीचे गिर कर घायल हुये यात्री के जीवन रक्षा हेतु तुरंत उपचार उपलब्ध कराने संबंधी बावत्।</p> <p>दिनांक 03.05.2016 को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म न. 01 पर गाड़ी नम्बर 12541 समय 16:35 पर आयी व समय 16:45 पर रवाना होने पर यात्री जीतू चौहान पुत्र रामआसरे चौहान उम्र 35 वर्ष निवासी गोसांई नगर कुशीनगर (उ.प्र.) पीएनआर. 276-3746476 गोरखपुर से लोकमान्य तिलक कोच. एस-1 बर्थ नम्बर 16,17 पानी लेने उतरा था, गाड़ी रवाना होने पर चढ़ते समय यात्री का पैर फिसल जाने के कारण गाड़ी के नीचे चला गया, जिसके कारण उसका दाहिना पैर कट गया। यात्री के साथ महिला शीला चौहान एवं दो छोटे बच्चे थे। रेसुब. भोपाल के सउनि चन्दन सिंह व आर.के. बौरासी मय स्टाफ द्वारा तुरंत गाड़ी को अटैण्ड कर यात्री को अधिक क्षति से बचाने हेतु कार्यवाही करते हुये, 108 एम्बुलेंस को बुलाकर यात्री को शासकीय अस्पताल हमिदिया भेजा गया जहाँ से यात्री को भोपाल केयर हास्पिटल रेफर किया गया तथा रेसुब. द्वारा यात्री का लगेज डिप्टी एस एस कार्यालय मे श्रीवास्तव को सुपुर्द किया।</p>
3.	भोपाल	04.05.16	<p>भोपाल मंडल- (भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को उसके परिवारजनों को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 04.05.16 को भोपाल स्टेशन के रेसुब. सउनि. आर. के. बौरासी को गस्त के दौरान प्लेटफार्म पर एक बालक लावारिस हालत दिखाई दिया गया। सउनि. आर. के. बौरासी द्वारा बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम अमन खान पुत्र याकूब खान उम्र 17 वर्ष निवासी वार्ड न. 15 पाल मोहल्ला बिजौली झासी उ.प्र. बताया एवं बालक द्वारा बताये मो.न. 09415950698 पर रेसुब. द्वारा संपर्क करने पर बालक के चाचा शकील खान पुत्र जुम्न खान उम्र 32 वर्ष से संपर्क होने पर भोपाल पोस्ट पर आने को कहा गया। बालक के चाचा के पोस्ट पर आने पर रेसुब. सउनि. चंदन सिंह द्वारा समक्ष दो गवाहन बालक को उसके चाचा को सुपुर्द किया गया।</p>
4.	कोटा	04.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा एक व्यक्ति के पास से चाकू बरामद करने बावत्।</p> <p>दिनांक 04.05.2016 को कोटा पोस्ट के सउनि बीरबल सिंह को दौराने गस्त प्लेटफार्म नं 02 पर गाड़ी सं 19020 अप पर समय 07.30 बजे एक व्यक्ति सउनि बीरबल सिंह को देखकर हड़बड़ाहट मे अपने को छिपाने की कोशिश करने लगा, जिसे शक के आधार पर रेसुब. सउनि बीरबल सिंह द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम रिकू पुत्र धर्मपाल उम्र 24 वर्ष निवासी- नयापुरा बस स्टैण्ड शिवजी मंदिर वाली गली थाना कोतवाली कोटा (राजस्थान) बताया। जो बार बार अपनी साइड मे कुछ वस्तु छिपाने का प्रयास कर रहा था। शक के आधार पर रेसुब. द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास एक बड़ा चाकू पाया गया, जिसे पकड़कर अग्रिम कार्यवाही हेतू जीआरपी थाना कोटा पर सुपुर्द किया। जिस पर थाना जीआरपी कोटा द्वारा अपराध क्रमांक-129/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दिनांक 04.5.16 के तहत मामला दर्ज किया गया है।</p>
5.	भोपाल	06.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेन से गिरे यात्री के जीवन रक्षा हेतु तुरंत उपचार उपलब्ध कराने बावत्।</p> <p>दिनांक 06.05.2016 को भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म पर गस्त के दौरान रेसुब. उपनिरीक्षक अजीत सिंह,सउनि. आर.के. बौरासी एवं सउनि चंदन सिंह ने देखा कि गाड़ी संख्या 18237 एक्स. के जनरल कोच से एक व्यक्ति चलती गाड़ी से गिर गया एवं जिसके दौनो पैर घुटनों के नीचे से कट गये है को देखकर तुरंत उसके पास जाकर उसकी सहायता में जुट गये। तुरंत रेसुब. स्टाफ द्वारा उठाकर 108 एंबुलेंस द्वारा शासकीय अस्पताल हमीदिया भोपाल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। रेसुब. द्वारा पूछताछ करने पर घायल ने अपना नामरूपचंद पुत्र सौनाथ उम्र 36 वर्ष मिर्जापुर ग्राम नगर मिर्जापुर जिला बिजनौर उ.प्र.बताया। रेसुब. के समय से पहुँचने पर यात्री के जीवन रक्षा के प्रति उत्कृष्ट कार्य किया है।</p>

6.	भोपाल	08.05.16	(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 08.05.2016 को रोहित कुमार द्वारा डीएससीआर/भोपाल को सूचना दी गई कि गाड़ी संख्या 12779 एक्स के कोच एस/3 बर्थ नं. 43 पर बैग छूट गया है, कृपया अटैण्ड करवाये की सूचना पर डीएससीआर/भोपाल द्वारा इटारसी स्टेशन के उपनिरीक्षक जयभारत को सूचना दी गई। गाड़ी के स्टेशन पर आगमन पर रेसुब. द्वारा गाड़ी संख्या 12779 एक्स के कोच एस/3 बर्थ नं. 43 को अटैण्ड किया वहा पर एक काले रंग का भरा हुआ बैग मिला, यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने अपना अधिकार नहीं बताया। ऑन ड्यूटी एसएस/इटारसी श्री रजनीश के समक्ष बैग को उतरवाकर आरपीएफ पोस्ट लाया गया। रेसुब. द्वारा यात्री रोहित कुमार पुत्र महावीर उम्र 20 वर्ष निवासी मकान नं. 665 सैनी विहार बिटाना मोहाली चंडीगढ मोबाईल नं. 9780992925 को फोन पर सूचना दी गई। रोहित कुमार के आरपीएफ पोस्ट इटारसी आने पर रेसुब. द्वारा बैग से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के बाद यात्री को समक्ष गवाहान बैग चेक कराकर सुपुर्द किया।
7.	भोपाल	08.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेन में छूटे हुये पर्स की सुपुर्दगी बावत्। दिनांक 08.05.2016 को भोपाल स्टेशन पर सउनि चंदन सिंह के पास आकर एक महिला यात्री जिसका नाम कविता आडे पत्नी जगदीश आडे उम्र 28 वर्ष आयी एवं बताया कि गाड़ी संख्या 12721 के विकलांग कोच में यात्रा कर रहे थे एवं गाड़ी के विकलांग कोच में लेडिस पर्स छूट गया है। उपरांत रेसुब. सउनि चंदन सिंह तुरंत कार्यवाही करते हुये उक्त गाड़ी के कोच को अटैण्ड किया एवं लेडिस पर्स मिलने पर अपने तांबे में लेकर पोस्ट पर आये। रेसुब. द्वारा महिला यात्री को पोस्ट पर बुलाया गया। सउनि द्वारा उक्त महिला यात्री के पोस्ट में आने पर लेडिस पर्स जिसमें सोने एवं चांदी के गहने थे को समस्त गवाह के समक्ष सुपुर्द किया।
8.	भोपाल	09.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा म.प्र.पु.के नकली आरक्षक को पकड़ा गया। दिनांक 09.05.16 को भोपाल पोस्ट उपनिरीक्षक अजीत सिंह सिनसिनवार, जहरखुरानी की रोकथाम हेतु प्लेटफार्म 01 परहमराह स्टाफ के साथ तैनात थे। इसी दौरान आरपीएफ.स्टाफ को एक व्यक्ति म.प्र.पुलिस की वर्दी में संदिग्ध अवस्था में दिखाई देने पर उपनिरीक्षक अजीत सिंह सिनसिनवार द्वारा पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम शुभम राजपूत पुत्र लखन सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी पठार वाली गली घोड़ा नक्कास भोपाल को म.प्र. बताया एवं बताया कि वह ट्रेन में किराया से बचने के लिये पुलिस की वर्दी पहनकर यात्रा करता है। रेसुब. द्वारा आरोपी के खिलाफ रे.अ.की धारा 147 दिनांक 09.05.16 को मामाला कायम कर पकड़े गये व्यक्ति को जमानत पर छोड़कर लिखित तहरीर के साथ जीआरपी भोपाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।
9.	भोपाल	10.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल रिजर्व) रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को चाइल्ड लाईन केयर भोपाल को सौंपने बावत्। दिनांक 10.05.16 को कुंभ मेला बंदोबस्त ड्यूटी में तैनात निरीक्षक/भोपाल रिजर्व श्री वीरेन्द्र सिंह को गस्त के दौरान समय 21:00 बजे प्लेटफार्म नं. 01 नया एफओबी के पास दो बालिकाओं को लावारिस हालत में देखा। रेसुब. द्वारा बालिकाओं को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम 1.कु. सुगमा पुत्री पप्पू उम्र 13 वर्ष निवासी स्वामी विवेकानंद छात्रावास विजयनगर जबलपुर तथा 2.संगीता चौधरी पुत्री सुरेश उम्र 15 वर्ष निवासी उपरोक्त बताया। बालिकाओं के परिवारजनों से संपर्क न हो पाने के कारण निरीक्षक/भोपाल रिजर्व श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा बालिकाओं को चाइल्ड लाईन केयर भोपाल को वास्ते सुरक्षा सुपुर्द किया गया।
10.	कोटा	10.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा यात्री के जीवन रक्षा करने के संबंध में। दिनांक 10.05.2016 को गाड़ी संख्या 19038 से एक यात्री अखिलेश पुत्र रामलखन उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम डोडो जिला गोरखपुर टिकट नं 69229525 सामान्य कोच में गोरखपुर से सूरत तक यात्रा कर रहा था, जो किमी नं 923/30 के पास चलती गाड़ी से गिर गया। एल सी गेट 109 से सी केबिन पर पेट्रोलिंग डियूटी पर तैनात प्रआ रामपाल मीणा तथा आरक्षक जोगेन्द्र सिंह ने जैसे ही उसे देखा तुरन्त पहुंचकर उसे गाड़ी के नीचे आने से बचाया। गिरने के कारण उक्त यात्री घायल हो गया। प्रआ रामपाल मीणा तथा आरक्षक जोगेन्द्र सिंह द्वारा घायल को पोस्ट पर लाया गया एवं प्राथमिक उपचार दिया। उक्त यात्री की हालत ठीक होने पर उसे अगली गाड़ी से गंतव्य सूरत के लिए रवाना किया। रेसुब स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त यात्री की जीवन रक्षा के प्रति योगदान दिया गया। रेसुब. द्वारा जान बचाकर एक सराहनीय कार्य किया है।
11.	कोटा	10.05.16	(कोटा मण्डल/भरतपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को चाइल्ड हेल्प लाईन को सौंपने बावत्। दिनांक 10.05.16 को भरतपुर स्टे इन पर रेसुब. के निरीक्षक दिनेश सिंह सोय द्वारा प्लेटफार्म नं. 3 पर दौराने गस्त गाड़ी नं. 12926 को समय 20.25 बजे अटैण्ड करने के बाद एक बालक उम्र 10-11 वर्ष रोता हुआ लावारिस हालत में मिला। निरीक्षक दिनेश सिंह सोय बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बच्चे ने अपना नाम देवेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र

			प्रसाद सिंह बघोरिया उम्र 11 वर्ष निवासी सती नगर आगरा बताया। बच्चे ने बताया कि पापा ने मुझे डॉट दिया है इस कारण घर से आ गया हूँ। बालक के परिवारजनों से संपर्क न होने पर चाइल्ड हेल्प लाईन भरतपुर के कार्यकर्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा को मो.नं. 9460291098 पर उपरोक्त बावत सूचना दिया। उपरोक्त गवाह के समक्ष सही एवं स्वस्थ हालत में रेसुब. द्वारा बालक को सुपुर्द किया।
12.	भोपाल	11.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को चाइल्ड केयर लाईन भोपाल को सौंपने बावत। दिनांक 11.05.16 को भोपाल पोस्ट के रेसुब. सहा उप निरीक्षक चन्दन सिंह को गस्त के दौरान रेलवे परिसर पर एक बालिका लावारिस हालत में घूमते नजर आयी। सहा उप निरीक्षक चन्दन सिंह द्वारा बालिका को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम निशा पुत्री बलिराम भगत उम्र 16 वर्ष निवासी अबेंडकर चौक हिंगना रोड नागपुर बताया एवं घर से भागकर आना बताया। सहा उप निरीक्षक चन्दन सिंह द्वारा बालिका के माता-पिता की कोई जानकारी न मिलने पर चाइल्ड केयर लाइन भोपाल को सूचना देकर पोस्ट पर बुलाया। चाइल्ड केयर लाइन भोपाल के प्रतिनिधि शैलेन्द्र दुबे व भावना (मोबाइल न 8878931844) के पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा बालिका को गवाहों के समक्ष चाइल्ड केयर लाइन को सुपुर्द किया।
13.	कोटा	11.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को चाइल्ड केयर हेल्प लाइन कोटा को सौंपने बावत। दिनांक 11.05.16 को कोटा स्टेशन पर सउनिरी. बीरबल सिंह द्वारा गाड़ी सं 19040 को प्लेटफार्म नं 02 पर आने पर अटेंड किया। जहां स्लीपर कोचो पर एक बालिका भीख मांगते हुए नजर आई। जिसे रेसुब. महिला आरक्षक हेमलता यादव की सहायता से बालिका को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम अंतिमा पुत्री छीतरकाकाजी उम्र 12 वर्ष निवासी खेडली गांव थाना सीमल्या जिला कोटा बताया तथा बताया कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं तथा अपने बड़े भाई सुनील व भाभी निर्मला के साथ रहना बताया जो कि खानाबदोश हैं। रेसुब. द्वारा 1098 चाइल्ड केयर हेल्प लाइन पर सूचना देकर श्रीमति यशोदा के सुपुर्द किया गया।
14.	कोटा	12.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा महिला चोर को पकड़ने बावत। दिनांक 11.5.16 को भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म न. 06 में गस्त के दौरान उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह व प्रआ मो. शमीम खान व आरपीएसएफ महिला आरक्षक के पास दो महिलाये 1.हल्की बाई पति दयाशंकर उम्र 30 वर्ष निवासी करेली जिला नरसिंहपुर म.प्र. ने बताया कि सोने का एक मंगलसूत्र कीमत लगभग 5000/रु का चोरी होना बताया व 2.भूरी बाई पति जगवीर सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी उपरोक्त का एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र कीमत 100/रु का चोरी होना बताया। जो कि मेला स्पेशन ट्रेन में यात्रा कर रही थी ने शिकायत किया कि कुछ महिलाओ ने हमारे मंगलसूत्र निकाल लिया है। तुरन्त प्रआ मो.शमीम व आरपीएसएफ महिला आरक्षको द्वारा एक सदिग्ध महिला को पकड़ा गया एवं फरियादी महिलाओ द्वारा इसकी पहचान कराई गई फरियादी द्वारा आरोपी की पहचान करने के बाद रेसुब. द्वारा पूछताछ करने पर सदिग्ध महिला ने अपना नाम राजवति पति राजु राम उम्र 40 वर्ष जाति हरिजन इलाहबाद उ.प्र. बताया। एवं चोरी करना स्वीकारा बाद मय तहरीर के साथ जीआरपी/भोपाल को सुपुर्द किया गया। जीआरपी/भोपाल द्वारा उक्त मामले की जांच जारी है।
15.	भोपाल	12.05.16	(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को उनके परिवारजनों को सौंपने बावत। दिनांक 11.5.16 को स्वाति चौरसिया मोबाईल न 8878835599 द्वारा इटारसी पोस्ट पर रेसुब.के उप निरीक्षक जय भरत को सूचना दी गई कि दो नाबालिग लड़कियाँ जो कि गलत गाड़ी नं. 51188 में बैठ गयी हैं। कृपा करके इटारसी पोस्ट पर उनको उतारा जाये। सूचना प्राप्त होते ही रेसुब. स्टॉफ द्वारा उक्त गाड़ी के इटारसी स्टेशन आने पर गाड़ी को चैक किया तो दो बालिकाएँ अकेली बैठी पायी गई। रेसुब. द्वारा बालिकाओ को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम 1.पायल उर्फ प्राची चौरसिया पुत्री विनोद उम्र 15 वर्ष व 2. रिमी उर्फ वैष्णवी पुत्री किशोरीलाल उम्र 09 वर्ष जो सोहागपुर से भोपाल की यात्रा कर रही थी। उप निरीक्षक जय भरत द्वारा बालिकाओ के परिजनो से संपर्क कर पोस्ट पर आने को कहा। बालिकाओ की बड़ी बहन स्वाति चौरसिया पति मुकेश चौरसिया उम्र 23 वर्ष निवासी गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर मोबाइल न 8878835599 आयी तथा अपनी छोटी बहनो की पहचान की बाद दो गवाहों के समक्ष सुपुर्दगी नामा के तहत रेसुब. द्वारा उक्त बालिकाओ को सुपुर्द किया गया।
16.	कोटा	12.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को चाइल्ड हेल्प लाइन कोटा को सौंपने बावत। दिनांक 12.04.16 को कोटा स्टे इन के रेसुब. सउनिरी बीरबल सिंह को गस्त के दौरान प्लेटफार्म नं 02 पर एक बालक को घूमते हुए दिखाई दिया गया। जिसे स्टॉफ की सहायता से पोस्ट पर लाकर बालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नितिन बताया जिसकी उम्र लगभग 9-10 वर्ष थी तथा अपने माता पिता का नाम पता, जाति परिवार के बारे मे कुछ

			<p>भी ज्ञात नहीं होना बताया तथा 6-7 साल पूर्व आगरा स्टेशन पर अपने मां बाप से बिछड़ गया था तब से आगरा में ही भीख मांगकर खाना बताया। रेसुब. सउनिरी बीरबल सिंह द्वारा 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन पर सूचना दी गई। चाइल्ड हेल्प लाइन के प्रतिनिधी कोटा पोस्ट पर आये तथा रेसुब.द्वारा बालक को आव यक कार्यवाही कर जीआरपी कोटा स्टॉफ व ऑन ड्यूटी डिप्टी एसएस कोटा के समक्ष चाइल्ड हेल्प लाइन को सुपुर्द किया गया</p>
17.	कोटा	13.05.16	<p>कोटा मंडल(गंगापुर सिटी)-नाबालिक लड़की को उसके माता-पिता के सुपुर्द किये जाने बाबत:-</p> <p>दिनांक 12.05.2016 को गाड़ी संख्या 09809 डा. में में पायी गई नाबालिक लड़की को सउनि जगबीर सिंह गंगापुर सिटी द्वारा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम-सृष्टि पुत्री अशोक कुमार उम्र 16 वर्ष जाति कश्यप निवासी केशवपुरा जिला-कोटा राजस्थान बताया एवं बताया कि उसकी माता पिता के डांटने से घर से भाग कर आ गई। बाद सउनि द्वारा उक्त बालिका को दिनांक 13.05.2016 को उसके माता पिता को सही हालत में पंचों के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया।</p>
18.	कोटा	13.05.16	<p>कोटा मंडल(कोटा पोस्ट)-रेलवे की सुरक्षा के मद्देनजर रेल अधिनियम के तहत रैड कर कुल 164 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत:-</p> <p>दिनांक 13.05.2016 को निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल कोटा पोस्ट मय स्टॉफ उप निरीक्षक योगेन्द्र शर्मा स0उ0निरी0 बीरबल सिंह, प्रधान आरक्षक अरविन्द कुमार मलिक, प्रधान आरक्षक कप्तान सिंह, प्रधान आरक्षक महेन्द्र सिंह मीणा, प्रधान आरक्षक सत्यपाल सिंह, प्रधानआरक्षक रामखिलाडी बैरवा, प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश, आरक्षक भरतलाल मीणा, आरक्षक शीशराम गुर्जर, अरक्षक मुकेश चन्द मीणा, आरक्षक जोगेन्द्र सिंह, आरक्षक चन्दन सिंह, आरक्षक चन्द्रशेखर, आरक्षक रायसिंह गुर्जर, आरक्षक मनोज सेन, आरक्षक प्रेमसिंह जाट, आरक्षक मलखान सिंह के साथ रेलवे स्टेशन डकनिया तलाव पर श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) कोटा के कैम्प कोर्ट के दौरान रेलवे एक्ट रैड कर कुल 164 व्यक्तियों को रेल अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) कोटा के कैम्प कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जिन पर श्रीमानजी द्वारा कुल 14900/- रूपये जुर्माना किया गया है। श्रीमानजी रेलवे की सुरक्षा के मद्देनजर रेसुब कोटा पोस्ट के उपरोक्त बल सदस्यों की संयुक्त टीम द्वारा एक दिन में इतने केस दर्ज कर एक सराहनीय कार्य किया गया है।</p>
19.	भोपाल	13.05.16	<p>भोपाल मंडल-(भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गाड़ी संख्या 22909 (बलसाड़-पुरी) एक्सप्रेस से ओएचई वायर टकराने से होने वाली बड़ी घटना को रोकने के संबंध में।</p> <p>दिनांक 13.05.2016 को पीएफ नं0-04 से 06 बीना एण्ड की तरफ डियूटी पर तैनात आरक्षक अजय सिंह कछवाह को जोर से हुए धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा। तो वहां पर लोहे की रेलिंग के बाहर पश्चिम तरफ पड़े कचरे के ढेर में धुंआ उठता हुआ दिखायी दिया। आसपास चैक किया तो एक नीले रंग का इंजुलेशन चढा तार झाड़ियों के उपर से ओएचई वायर के उपर पड़ा दिखाई दिया, उसमें से धुंआ उड़ता दिखाई दिया, स्टाफ तुरंत वीट नं. 01 तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग बुझाने लगी, तो देखा कि गाड़ी संख्या 22909 बलसाड़ से पुरी जाने जाने वाली पीएफ नं. 4-5 से धीमी गति से अंदर प्रवेश कर रही थी, ओएचई वायर को देखकर आरक्षक अजय सिंह द्वारा उक्त गाड़ी के चालक को इशारा कर एवं वाकी-टाकी के माध्यम से गाड़ी को रोकने के लिये इशारा किया गया, तो चालक ने ओएचई के उपर लटक रहे वायर से 10-12 फिट की दूरी पर उक्त गाड़ी को रोक लिया, फिर चालक ने ओएचई वायर को देखा और कहा कि गाड़ी निकल जायेगी, और आगे बढ़ाकर जैसे ही वायर के करीब आया, तभी जोर से धमाका हुआ और सहायक चालक रवीन्द्र प्रताप सिंह मुख्यालय रतलाम जो इंजिन के दाहिनी ओर दरवाजे पर हैंडिल पकड़ कर खड़ा था के कपड़ों में आग लग गई। वह इंजिन में ही गिर गया और ओएचई के उपर पड़ा हुआ वायर जलता हुआ झाड़ियों में गिर गया। मौके पर तत्काल भोपाल पोस्ट के उपनिरीक्षक राजपतीराम, सउनि एस.के.शर्मा एवं अन्य रेल कर्मी पहुंचे एवं घायल सहायक चालक को इंजिन से उतारकर एंबुलेंस से उपचार हेतु रेलवे अस्पताल निशातपुरा भेजा गया व मजदूर विजयपाल यादव जो खड़ा था रेसुब. को देखकर वाहन छोड़ भागने लगा, उसे दौडकर आरपीएफ द्वारा पकड़ा कर लाया गया। उससे पूछताछ व बयान रिकार्ड करने पर उसने अपने बयान में बताया कि वह मेटल बॉन्ड्स कंपनी जो दिल्ली में है। में बेल्टिंग हैल्पर का कार्य करता हूँ। आज दिनांक 13.05.2016 को पीएफ नं. 06 बीना छोर की तरफ रेलवे क्रासिंग (वाइट क्रासिंग) का वैल्विंग करने के लिये गुलफाम व दीनानाथ के साथ वैल्विंग का कार्य करने के लिये जो पीडब्ल्यूआई उत्तर भोपाल के निर्देशन में हो रहा था उस स्थान पर कार्य प्रारंभ करने जा रहे थे। रेसुब. द्वारा पकड़े गये व्यक्ति को उक्त वाहन में रखे सामान सहित मौके पर जीआरपी प्रभारी भोपाल घटना स्थल से जांच के लिये थाना जीआरपी ले जाया गया।</p> <p>इस घटना से उक्त गाड़ी के इंजिन में कोई नुकसान व क्षति नहीं हुई और ना ही कोई रेलवे संपत्ति की भी क्षति हुई है। बल्कि सहायक चालक के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्री के साथ कोई भी घटना घटित नहीं हुई, मामले की जांच जीआरपी भोपाल द्वारा अपराध क्र 315/2016 धारा 337,338 आई.पी.सी. के तहत अज्ञात के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। मामले में जांच जारी है।</p>

20.	जबलपुर	14.05.16	<p>(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा बालिका को उसके परिवारजनों को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 14.05.2016 को जबलपुर पोस्ट के सउनि एम.पी.मिश्रा दौराने गस्त समय लगभग 05:00 बजे रेलवे परिसर में देखा कि वहां कुछ ऑटो वाले भीड़ लगाये हुये खड़े थे तथा दो लड़कियाँ रोते हुये खड़ी थी पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1.सेवकली पिता हरे सिंग उम्र 15 साल व 2.लड़की ने अपना नाम लक्ष्मी पिता सुमितलाल उम्र 18 साल निवासी ग्राम गुड़वा थाना किदवई तहसील घनसौर जिला सिवनी बताया तथा यह भी बताया कि वो दोनों भोपाल से विध्यांचल एक्सप्रेस से जबलपुर दिनांक 13.05.16 को जबलपुर आ गयी थी व परिजन नहीं आये थे गांव के लिये बस भी सुबह 10:00 बजे की अतः वो दोनों प्लेटफार्म क्रमांक 01 पर रुक गयी जिसमे सेवकली ने अपने ही रिश्तेदार को प्लेटफार्म मे मिल गये थे उनके पास 9000 रुपये नगद रखने को दे दी थी कि सुबह जाते समय वो उनसे प्राप्त कर लेगी जब सेवकली की नींद खुली तो रिश्तेदार सुमितलाल वहां नहीं था अतः पैसे के लिये वो दोनों रो रही थी। रेसुब द्वारा उक्त सुमितलाल की तलाश की गयी तो वह व्यक्ति इंदरा मार्केट रेल पुल के पास देशी शराब की दुकान के सामने लेटा हुआ मिला। अतः उसे रेसुब थाने जबलपुर लाया गया जहां दोनों लड़कियों ने बताया कि यहीं उनका रिश्तेदार है रेसुब. द्वारा लाये गये व्यक्ति सुमितलाल ने बताया कि वह उनके गांव का है तथा सेवकली ने उसे 9000 रुपये रखने को दिया था जो कि उसकी जेब मे है चूंकि वह शराब के नशे का आदी था अतः दोनों बच्चियों को स्टेशन मे बैठाकर बाहर शराब की दुकान की तलाश मे निकल गया था। बाद उसने जेब से निकालकर 9000 रुपये सेवकली को दिये चूंकि घटना की सूचना पूछताछ के बाद सेवकली के पिता हरे सिंग को दी गयी थी अतः वे भी मौके पर पहुंच गये जहां हरे सिंग को रेसुब. द्वारा दो गवाहों के समक्ष दोनों बालिकाओ को सुपुर्द किया।</p>
21.	भोपाल	14.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा दो बालिकाओ को चाइल्ड केयर लाइन भोपाल को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 14.05.2016 को भोपाल स्टेशन के रेसुब. महिला आरक्षक ज्योति यादव बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात थी। गस्त के दौरान पीएफ नं. 04-05 एफओबी पुल के उपर दो किशोरियों संदिग्ध हालत में घूमती हुई नजर आयी तभी उक्त महिला आरक्षक द्वारा पूछताछ करने के उपरांत पोस्ट पर लाकर सउनि एस.के. शर्मा द्वारा पूछताछ करने पर दोनों किशोरियों ने अपना नाम 01-लक्ष्मी पुत्री अर्जुन उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम गुलमी जिला इलम नेपाल बताया। 02-सुखमाया पुत्री लाल बहादुर उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम गुलमी जिला इलम नेपाल बताया तथा अपने माता-पिता के साथ हरियाणा से जमुनी क्षेत्र में एम फार्म हाउस में आकर मजदूरी करना बताया। पूछताछ के दौरान उक्त किशोरियों ने अपने माता-पिता को बिना बताये घर से भाग कर आना बताया। बाद किशोरियों से घर के मोबाईल नं. पूछने पर 09467221385 बताया उक्त नंबर पर बात करने पर परिजनों द्वारा दिनांक 15.05.2016 को भोपाल पहुंचना बताया गया है। बाद सउनि एस.के. शर्मा द्वारा चाइल्ड केयर लाइन भोपाल को सूचना देकर श्रीमती अनीता मिश्रा टीम मेम्बर चाइल्ड लाईन भोपाल के सुपुर्द किया गया।</p>
22.	भोपाल	14.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को परिवारजनों को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 14.05.2016 को एक महिला यात्री कमला बाई पत्नी स्व. महेश उम्र 35 व र्मा निवासी बरौली कौशांबी ने इटारसी स्टेशन पोस्ट पर आकर उपनिरीक्षक जयभारत को बताया कि गाड़ी संख्या 11067 से एलटीटी से इलाहाबाद की यात्रा अपने बच्चों के साथ कर रही थी, हरदा स्टेशन पर मेरा लड़का अजीत उम्र 17 व र्मा पानी लेने उतरा लेकिन गाड़ी में चढ़ नहीं पाया हरदा में ही छूट गया है। उपनिरीक्षक जयभारत द्वारा हरदा पोस्ट पर सूचना दी गई, हरदा पोस्ट के स्टाफ द्वारा उक्त लड़के को खोजा तथा मिलने पर हरदा पोस्ट पर बिठाया, तथा इटारसी स्टेशन पोस्ट का स्टाफ आरक्षक शमशेर आलम महिला आरक्षक रानू विश्वकर्मा जो गाड़ी संख्या 12779 से हरदा से इटारसी महिला डिब्बा अनुरक्षण ड्यूटी में थे के साथ उक्त लड़के को इबरसी पोस्ट पर लाकर उपनिरीक्षक जयभारत को सुपुर्द किया। उक्त बालक को रेसुब. द्वारा उसकी मां कमला बाई को समक्ष गवाहान सुपुर्द किया।</p>
23.	कोटा	16.05.16	<p>(कोटा मण्डल/बारा पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेन से गिरे घायल यात्री के जीवन रक्षा के संबध में।</p> <p>दिनांक 16.05.16 को गाड़ी सं. 51611 पर एक रेलयात्री उमाशंकर पुत्र श्री लाल चंद, उम्र- 40 वर्ष बारां पुलिस थाना-कोतबाली, जिला-बारां यात्रि टिकिट नं. 08500782 अपने परिवार के साथ बारां से छबड़ा गूगोर की यात्रा कर रहा था। जब गाड़ी कैशोली स्टेशन पर पहुंची तो उमा शंकर पानी लेने के लिये गाड़ी से कैशोली स्टेशन पर नीचे उतरा उक्त ट्रेन समय 11:42 मिनट पर स्टार्ट हुई तो उमा शंकर गाड़ी में चढ़ते समय पैर फिसल जाने से गाड़ी के नीचे आ गया जिससे रेल यात्री उमा शंकर के घुटने से नीचे दौनो पैर कट गये। ट्रेन स्कोर्ट पार्टी में प्रधान आरक्षक जल सिंह ,आरक्षक सतीश कुमार व गार्ड एस डी मीणा हैड क्वार्टर कोटा गार्ड द्वारा गाड़ी रोकने पर रेसुब. के प्रधान आरक्षक जल सिंह ,आरक्षक सतीश कुमार तुरंत दौड़कर यात्रियों की सहायता के लिये आगे आये। रेसुब. द्वारा यात्री उमा शंकर को गाड़ी के नीचे से निकाला गया तथा बाद में उसी ट्रेन से उमा शंकर को गार्ड ब्रेक में रखवा कर घायल अवस्था में छबड़ा गूगोर स्टेान पर ले गये तथा बाद में एंबूलेंस 108 के द्वारा शासकीय अस्पताल छबड़ा गूगोर में भर्ती करवाया गया। घायल व्यक्ति के साथ उसके साथ उसका परिवार के सदस्य थे जिनका मोबाइल नम्बर 8107207265 है। उक्त एस्कार्ट स्टाफ द्वारा</p>

			घायल यात्री की जीवन रक्षा के लिये तुरन्त मदद कर सराहनीय कार्य किया गया है।
24.	जबलपुर	16.05.16	<p>(जबलपुर मंडल/नई कटनी जंक्शन पोस्ट) रेसुब द्वारा एसी कोच में लगी आग पर काबू पाकर रेलवे संपत्ति एवं रेल यात्री के जीवन रक्षा के संबंध में।</p> <p>दिनांक 16.05.2016 को गाड़ी संख्या-11448 अप समय 14.15 बजे न्यू कटनी जं. आई, स्कार्ट पार्टी में तैनात आरक्षक एस के मीना व आरक्षक के के बैठा गाड़ी रुकने के बाद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चैक करते समय देखा कि एसी कोच नं० 11072 एच-1 में धुआ निकल रहा है। रेसुब. द्वारा तत्काल एसी अटैण्डर एवं एसी कोच मैकेनिक राजेन्द्र को बुलाया गया। मैकेनिक द्वारा चैक करने पर पाया कि अधिक गर्मी होने के कारण एसी कोच की बैटरी के एक भौल में से धुआ निकल रहा था। बैटरी का ढक्कन खोलकर देखा तो उसमें आग लगी हुई थी, जिसे एसी मैकेनिक द्वारा अग्नि भामक यन्त्र की मदद से तत्काल आग को भुजा दिया। उपरोक्त घटना से कोई भी जान-माल व रेल सम्पत्ति की क्षति नहीं हुई। एवं बाद गाड़ी रवाना हुई। रेसुब द्वारा ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने से बड़ी घटना जिसमें रेलवे संपत्ति, रेल यात्री की जानमाल की होने वाली क्षति को होने से बचाया।</p>
25.	कोटा	17.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालिका को चाइल्ड केयर लाइन कोटा को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 17.5.16 को रेसुब0 कोटा पोस्ट के सउनिरी बीरबल सिंह को दौराने गस्त वीआईपी गेट पर टिकट चैकिंग स्टॉफ का सहयोग करने के दौरान एक बालिका को लावारिस हालत में घूमते पाया। उक्त बालिका को महिला आरक्षक जयश्री के साथ लेकर कोटा पोस्ट पर लाया गया। सउनिरी बीरबल सिंह द्वारा बालिका से पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम सोनम पुत्री जयप्रकाश उम्र 12 वर्ष जाति श्रीवास्तव जिला वैशाली बिहार बताया तथा कक्षा 7 में पढाई हेतु अपने मामा विजय श्रीवास्तव के पास पढना तथा पढाई में मन नहीं लगने के कारण मुम्बई के लिये घर से भागकर आना बताया तथा मां ज्योति देवी मो० नं० 7766826512 बताया। रेसुब. द्वारा उक्त नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया। सउनिरी बीरबल सिंह द्वारा चाइल्ड केयर लाइन कोटा को सूचना दिया गया बाद चाइल्ड केयर लाइन कोटा की प्रतिनिधी अल्का अजमेरा के कोटा पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा बालिका को सुपुर्द किया गया। श्रीमानजी सउनिरी बीरबल सिंह द्वारा उक्त घर से भागी बालिका को चाइल्ड लाइन कोटा के सुपुर्द कर सराहनीय कार्य किया गया है।</p>
26.	कोटा	18.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा गाड़ी संख्या-59802 में एक चाकूधारी व्यक्ति को पकड़ने बावत्।</p> <p>दिनांक 18.5.2016 को रेलवे सुरक्षा बल कोटा पोस्ट के आरक्षक रायसिंह गुर्जर व आरक्षक मुकेश चन्द मीणा अपराध रोकथाम व एसीपी ड्यूटी में तैनात थे ड्यूटी के दौरान गाड़ी संख्या-59802 रायपुर -रतलाम को आगे से पीछे की तरफ गस्त करते हुये साधारण कोच पर पहुँचे तो एक व्यक्ति वर्दी देखकर कोच की अगली वाली गैलरी में छुपने लगा। जिसे भांपकर कोच में घुसकर रोका तथा नाम पता पूछा तो अपना नाम रघुवीर सिंह पुत्र नाथूलाल जाति-कण्डेरा उम्र-20 वर्ष निवासी-बिजली पावर हाउस पुलिस थाना-कोतवाली जिला-सवाईमाधोपुर बताया। रेसुब. द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर एक धारदार चाकू बरामद हुई। रेसुब. द्वारा चाकू के बारे में पूछने पर उक्त व्यक्ति ने बताया कि वह धारदार चाकूयात्री को डराने के लिये रखना बताया। रेसुब. द्वारा उक्त व्यक्ति को लेकर जीआरपी थाना कोटा पहुँचे तथा जीआरपी. को सुपुर्द किया। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जीआपी थाना कोटा द्वारा अपराध क्रमांक 142/2016 धारा 4/25 आर्मस एक्ट दिनांक 18.5.2016 के तहत दर्ज कर मामला जाँच में लिया गया। रेसुब. के सतर्कता के चलते ट्रेन में होने वाली बड़ी घटना को होने से बचाया।</p>
27.	कोटा	18.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को उसकी माँ को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 18.5.16 को रेसुब. के कोटा स्टेशन प्लेटफार्म 1 पर रात्री समय 00.25 बजे स.उप.निरी.बीरबल सिंह को बस्त के दौरान एक बालक रोता रोता हुआ दिखाई दिया। स.उप.निरी.बीरबल सिंह द्वारा बालक से पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम चिन्दू उम्र 7 वर्ष छतरपुर (म.प्र.) बताया एवं बताया कि को उसकी माँ आशा पत्नी राजू उम्र 30 वर्ष मिल नहीं रही है। बालक द्वारा बताये गये हूलिये के अनुसार उसकी माता को प्लेटफार्म पर ढूँढा गया। बालक की माँ के मिलने पर रेसुब. द्वारा बालक को उसकी माँ के सुपुर्द किया गया।</p>
28.	कोटा	18.05.16	<p>(कोटा मण्डल/सवाईमाधोपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा घर से भागे हुये लड़का व लड़की को उनके परिवारजनों को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 18.05.16 को सवाईमाधोपुर स्टेशन पर रेसुब. सहा.उप निरी शिवराम सिंह को दौराने गस्त कुछ यात्रियों ने बताया कि गाड़ी सं. 54811 में एक लड़का व एक लड़की घर से भाग कर जा रहे हैं सूचना पर सहा.उप.निरी. मय स्टाफ द्वारा उक्त दोनों को अपने साथ आरपीएफ थाना लेकर आये जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम कमश: (01) रेखा पुत्री जोगा उम्र 19 वर्ष निवासी कापरेन जिला बूंदी राज. (02) टीकम सुमन पुत्र नारायण उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04 रोदेडा रोड़ कापरेन पुथाना कापरेन जिला बूंदी राज.बताया तथा घर से तीन दिन पूर्व घर से भाग जाना बताया। रेसुब. द्वारा</p>

			सिविल पुलिस कापरेन से संपर्क करने पर उन्होने बताया कि उक्त दोनो की परिजनो द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। सिविल पुलिस कापरेन द्वारा सूचना उनके परिजनों को दी गई एवं बाद मय स्टाफ उक्त लडकी एवं लडके के परिजनों के साथ पोस्ट पर उपस्थित हुये जिन्हें पंचों के समक्ष सही हालत में रेसुब. द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया।
29.	भोपाल	19.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) महिला यात्री को रनओवर से बचाने बाबत:-</p> <p>दिनांक 19.05.16 भोपाल स्टेशन पर समय 20:00 से 00:00 शिफ्ट में निरीक्षक/भोपाल/रिजर्व श्री वीरेन्द्र सिंह साथ उप.निरी. श्रीमति मंजू महोबे उप.निरीक्षक श्रीमति वैष्णवी तिवारी, आरक्षक इदरीश बेग एवं आरपीएसएफ की क्यूआरटी टीम की महिला टीम प्लेटफार्म नंबर नं. 06 पर सुरक्षा व्यवस्था के लिये तैनात थे, गाडी संख्या-00592 भोपाल से उज्जैन स्पे. ट्रेन समय 03:30 बजे पीएफ नं. 06 से रवाना होते समय एक महिला चलती गाडी में चढ़ने लगी उसी समय उसका हाथ दरवाजे के हैंडल से छूट गया और वह सीधे प्लेटफार्म व गाडी के बीच में तेजी से नीचे चली गई, तुरंत मौके पर उपस्थित निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह व आरक्षक इदरीश बेग ने महिला का हाथ पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया, घटना से महिला अर्धबेहोशी की हालत में थी, अतः तत्काल स्ट्रेचर पर रखकर मेडिकल सहायता बूथ पीएफ नं.06 पर ले जाया गया, जहाँ पर प्रथमोपचार दिया गया, एवं एम्बुलेंस से हमीदिया चिकित्सालय भोपाल भेजा गया। उक्त महिला के साथ उसके पति से जानकारी लेने पर महिला का नाम पता-श्रीमति जनक रानी पत्नी मेलाराम सेन उम्र 45 साल नि0 बीना मोबा. नं. 7773076783 व उनके गांव के 15-20 अन्य लोगो के साथ उज्जैन कुंभ स्नान के लिये जाना बताया।</p> <p>निरीक्षक भोपाल रिजर्व श्री वीरेन्द्र सिंह एवं आरक्षक इदरीश बेग भोपाल रिजर्व की सजगता व त्वरित विवेकपूर्ण कार्यवाही के परिणामस्वरूप महिला यात्री को बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सका।</p>
30.	कोटा	20.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा प्रसव से पीड़ित महिला को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में।</p> <p>दिनांक 20.5.16 को कोटा स्टेशन पर गाडी सं 19569 के पर आने पर सहयात्रियों द्वारा रेसुब. के महिला बूथ पर तैनात महिला आरक्षक हेमलता यादव को बताया कि कोच सं एस-2 में बर्थ नं 32,33 पर यात्रा कर रही एक महिला यात्री सरोजा देवी पत्नि ज्ञानचंद निवासी ग्राम पाण्डे थाना जगदीश पुरा जिला आजमगढ (उ0प्र0) पीएनआर नं 864-4049845 जो कि अपने पति के साथ राजकोट से वाराणसी की यात्रा कर रही थी। महिला ने बताया कि रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई जिस पर सहयात्रीयो की मदद से डिलेवरी करवाई गई। महिला आरक्षक हेमलता यादव द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये रेलवे डाक्टर आशीष सारश्वत, मेड्रन सुनीता कोटा को तुरंत स्टेशन पर बुलाकर उक्त महिला को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया तथा जच्चा बच्चा स्वस्थ होने पर महिला यात्री द्वारा गाडी को छोड़ने से मना किया तथा अपने पति के साथ आगे की यात्रा पर रवाना हुई। रेसुब. की महिला आरक्षक हेमलता यादव द्वारा उक्त महिला को समय पर उपचार उपलब्ध करा कर उत्कृष्ट कार्य किया है।</p>
31.	जबलपुर	21.05.16	<p>(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को जाग्रति क्लब जबलपुर को सुपुर्द करने बाबत।</p> <p>दिनांक 21.05.16 को जबलपुर स्टेशन पर रेसुब. के सउनि श्री एसके मिश्रा को गस्त के दौरान प्लेटफार्म क्रमांक 04 पर एक 10 वर्षीय बालक को रोता हुआ पाया गया। सउनि श्री एसके मिश्रा द्वारा बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालक को अपना नाम पता, माता, पिता का नाम, फोन नम्बर आदि नहीं पता व यह बताया कि वह कोलकता के कोयला डिपो का रहने वाला है। ट्रेन से जबलपुर आना बताया। बालक की शिनाखत न होने पर सउनि श्री एसके मिश्रा द्वारा बालक को जाग्रति क्लब जबलपुर को देख-रेख हेतु सुपुर्द किया गया।</p>
32.	जबलपुर	21.05.16	<p>(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को परिवारजनों को सुपुर्द करने बाबत।</p> <p>दिनांक 21.05.16 को जबलपुर पोस्ट से सउनि श्री एमपी मिश्रा ने मैहर स्टेशन पर नोट कराया कि शेख समीर निवासी रददी चौकी थाना हुनमानताल जबलपुर ने रेसुब जबलपुर पोस्ट पर उपस्थित होकर सूचना दी की वह फूलपुर से जबलपुर की सामान्य श्रेणी यात्रा टिकट पर यात्रा कर रहे थे कि यात्रा के दौरान उनका भतीजा तनवीर अहमद उम्र 13 साल कही गुम गया है। उन्हे आशंका है कि तनवीर मैहर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ के साथ उतरा गया है। उक्त सूचना पर मैहर स्टेशन के आरक्षक श्री मिथेलश सोनी द्वारा प्राप्त जानकारी एवं बताये गये बालक के हुलिये के अनुसार स्टेशन पर उदघोषणा करा व स्वयं बालक को खोजने का प्रयास किया तो बालक तनवीर अहमद मैहर स्टेशन पर मिला गया। आरक्षक श्री मिथेलश सोनी द्वारा उक्त बालक के मिलने की सूचना जबलपुर में बालक के परिजनो की दी गई। बालक के परिजन बालक को लेने हेतु मैहर पोस्ट पर आये एवं रेसुब. द्वारा बालक को उसके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।</p>
33.	भोपाल	21.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/ इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेन पर छूटे ब्लेजर को मालिक को सौपने बाबत।</p> <p>दि. 21/05/2016 को मं.सु.नि.कक्ष के द्वारा मोबाइल पर इटारसी पोस्ट पर मैसेज प्राप्त हुआ कि गाडी क.</p>

		12533 पुष्पक एक्स. के बी.-01 कोच की बर्थ नं. 20, 21 के पास लखनउ से भोपाल की यात्रा कर चुके एक व्यक्ति शिवप्रकाश मिश्रा का नीला ब्लेजर जिसमें कुछ महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट है छूट गया है जिसका मो.नं.-9415229172 है इटारसी में अटैण्ड कराये। रेसुब. के उपनि.विजय सिंह, सउपनि. अनिल कुमार राय मय स्टाफ उक्त गाड़ी के इटारसी पर अटैण्ड करने पर बर्थ नं. 20 21 वाले बर्थ में एक नीले रंग का ब्लेजर (जैकेट) टंगी पायी। समक्ष गवाहान ब्लेजर की सभी जेब चैक करने पर उसमें 650/-रु नगद आधार कार्ड, एटीएम, पैन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के कागज, एसोशिएशन का कार्ड, भोपाल से नयी दिल्ली की दि. 22/05/2016 की फ्लाईट की टिकट पायी गई। उक्त नीला ब्लेजर को थाना सुरक्षित लाया गया। श्री शिव प्रकाश मिश्रा द्वारा एक व्यक्ति नाम सुनील पुरोहित को उक्त सामान लेने आरपीएफ थाना भेजा गया तथा आरपीएफ का धन्यवाद जताया। उपनि.विजय सिंह, सउपनि. अनिल कुमार राय द्वारा उस सामान को सुपूर्दगी नामा पर सुपूर्द किया गया है।	
34.	कोटा	21.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा ट्रेन से नीचे गिरे व्यक्ति को तुरत उपचार उपलब्ध कराने बावत्। दिनांक 21.5.16 को कोटा स्टेशन पर रात्री समय 22.10 बजे गाड़ी सं 12948 प्लेटफार्म न. 02 से रवाना होने के बाद गाड़ी में एसीपी हुई। उप निरी. अनिल कुमार व उप निरी. योगेन्द्र शर्मा मय स्टाफ द्वारा गाड़ी को अटेंड किया तो पाया कि आगे के जीएस कोच से कोई व्यक्ति गिर गया है। रेसुब. स्टॉफ द्वारा पूछताछ करने पर पता लगा कि यात्री का नाम सन्तोष गिरि पुत्र हरदेव गिरि उम्र 30 वर्ष नि. राममठ पोस्ट गौरोल राममठ वैशाली बिहार जिसका पटना से अहमदाबाद एवं गाड़ी के कोटा स्टेशन से रवाना होने के बाद जीएस कोच में भीड़ ज्यादा होने के कारण गाड़ी से नीचे गिर गया एवं उक्त व्यक्ति का बच्चा जिसकी उम्र करीबन 6 वर्ष होगी गाड़ी में रह गया था, इस कारण से सहयात्रियों ने गाड़ी में एसीपी किया। रेसुब. स्टाफ द्वारा उक्त जख्मी व्यक्ति को उसके बच्चे के साथ रेलवे एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा दिलवाकर राज. चिकित्सालय कोटा में भर्ती कराया।
35.	भोपाल	22.05.16	दिनांक 21.05.16 को इटारसी स्टेशन पर मानसिक रूप से विक्रिप्त व्यक्ति कोटेश्वर राव पुत्र अर्जुन राव उम्र 26 वर्ष निवासी चिनाओगिराला तहसील विजय जिला कृष्णा (आ.प्र.) को आरपीएफ इटारसी पोस्ट पर लाया गया तथा परिजनो से संपर्क किया गया। परिजन पिता अर्जुन राव एवं जीजा सुनील पु. सुन्दर राव उम्र 30 वर्ष निवासी निजामपेट हैदराबाद दिनांक 22.05.16 को हाजिर हुए जिन्हे उक्त व्यक्ति को सुपूर्द किया गया।
36.	भोपाल	23.05.16	(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को परिवारजनों को सुपूर्द करने बावत्। दिनांक 22.05.16 को रेसुब. के उप निरी विजय सिंह प्र.आर. ओमप्रकाश झारिया व म.आर. रानू विश्वकर्मा को इटारसी स्टेशन पर गस्त के दौरान समय 14:20 पर प्लेटफार्म न. 05 पर गाड़ी न. 11066 पवन एक्स. आगमन पर एक बालक रोते हुए पाया गया। बालक को रेसुब. द्वारा इटारसी पोस्ट पर लाया गया। उप निरी विजय सिंह द्वारा बालक से पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम ओमनारायण तिवारी उम्र 10 पिता का नाम संतोष तिवारी माताजी का नाम सरिता तिवारी निवासी गुरमा मारकुड़ी पुलिस थाना चौपन जिला सोनभद्र (उ.प्र.) बताया तथा रेसुब. द्वारा बालक के पास रखी सिम को मोबाइल में लगाकर उसके घर का नम्बर निकालकर उसके माता व पिता से संपर्क किया गया। दिनांक 23.05.16 को बालक के पिता संतोष तिवारी व चचेरा भाई भानू तिवारी के आने के पश्चात रेसुब. द्वारा सुपूर्दगीनामा के तहत बालक को परिवारजनों को सुपूर्द किया गया।
37.	भोपाल	23.05.16	(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को मालिक को सुपूर्द करने बावत् दिनांक 23.05.16 को समय 11:30 बजे गाड़ी न. 11464 राजकोट एक्स. प्लेटफार्म न. 02 पर अगमन पर एक वरिष्ठ नागरिक श्री गजराज सिंह आरपीएफ इटारसी पोस्ट पर आये व अपनी आप बीती रेसुब. के उप निरी विजय सिंह को बताया कि वह सिहस्थ दर्शन कर भोपाल से इटारसी राजकोट एक्स. से आया गाड़ी से इटारसी स्टेशन पर उतरा व अपना बैग प्लेटफार्म पर रखकर पानी लेने चला गया वापस आया तो बैग गायब पाया इस पर रेसुब. द्वारा सीसीटीवी स्टाफ को तुरंत अलर्ट किया गया वा प्र.आर. राजाराम अहिरवार को उक्त व्यक्ति के साथ प्लेटफार्म पर बैग तलाश करने भेजा गया सीसीटीवी व स्टाफ की मदद से उक्त बैग को ढूढ़ लिया गया जिस हेतु उक्त व्यक्ति ने आरपीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया उक्त व्यक्ति बैग को रखकर भूल गया था दूसरी जगह खोज रहा था इसलिए उसे बैग नहीं मिल पा रहा था। बाद आरपीएफ के सहयोग खोज लिया गया इस प्रकार उप निरी विजय सिंह तथा प्र.आर. राजाराम अहिरवार तथा आर. सुरेन्द्र विले द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।
38.	कोटा	23.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा घर से भागे हुये लड़का एवं लड़की को परिवारजनों को सुपूर्द करने बावत्। दिनांक 21.05.2016 को कोटा स्टेशन पर रेसुब. के उपनिरीक्षक अनिल कुमार, उपनिरी योगेन्द्र शर्मा तथा महिला आरक्षक कमला चौधरी को गस्त के दौरान कुछ यात्रियों द्वारा सूचना दी कि गाड़ी सं 59831 पर लड़का लड़की बैठे है जो घर से भाग कर जा रहे है। सूचना पर गाड़ी सं 59831 को अटेंड किया तथा सामान्य कोच नं 93490 को

			<p>चैक करने पर एक लड़का तथा लड़की को उतारा तथा पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम राहुल पुत्र अशोक उम्र 20 साल निवासी ग्राम गिरी पुलिस थाना कुआ जिला डूंगरपुर (राजस्थान) तथा मनीशा पुत्री रमनलाल उम्र 20 साल निवासी गोधरा पावर हाउस के पास तीरघरवास जिला पंचमहाल (गुजरात) बताया तथा बताया कि वह आपस प्रेम करते हैं तथा शादी करना चाहते हैं तथा घरवालों की मनाही के डर से दिनांक 17.05.2016 को घर से भाग गये। उपनिरी अनिल कुमार ने उक्त लड़का तथा लड़की के परिजनों को सूचना दी एवं परिजनों द्वारा रेसुब. को बताया कि पुलिस थाना गोधरा में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी तथा रेसुब. द्वारा पुलिस थाना गोधरा के थानाधिकारी एन वी पटेल को सूचना दी। दिनांक 23.05.2016 को पुलिस थाना गोधरा से आये महिला उपनिरीक्षक एस डी पटेल व मय स्टाफ व लड़की के परिजनों के कोटा पोस्ट पर आने पर, उक्त दोनों को सही हालत में आगे की कानूनी कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया।</p>
39.	कोटा	23.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा दो व्यक्तियों को 04 किलो अफीम के साथ पकड़कर जीआरपी को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 22.05.2016 को कोटा स्टेशन पर अपराध की रोकथाम की डियूटी में तैनात आरक्षक गोखलेश शर्मा तथा जयराम गुर्जर द्वारा कार्यवाही करते हुए प्लेटफार्म नं 4 पर खड़ी गाड़ी सं 18009 अजमेर संतराकाछी एक्सप्रेस के एस 6 कोच की बर्थ नं 8, 20, 15 पर 04 किलो अफीम अवैध रूप से ले जाते हुए दो यात्रियों कमश: 1.जन्नत पुत्र मुस्तफा उम्र 28 निवासी कलियाचक पुलिस थाना कलियाचक जिला मालदा तथा 2.उर्दुस पुत्र अरशद उम्र 59 निवासी गुलाबगंज पुलिस थाना कलिया चक जिला मालदा पश्चिम बंगाल को पकड़ा। रेसुब. द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों को जीआरपी को सुपुर्द किया जिस पर जीआरपी कोटा द्वारा अपराध क्रमांक 147/2016 धारा 6/18 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 22.05.2016 कायम कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 23.05.2016 को न्यायालय में पेश किया गया। रेसुब कोटा पोस्ट के आरक्षक गोखलेश शर्मा तथा आरक्षक जयराम गुर्जर को उनके द्वारा किये गये उक्त सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने की अनुशंसा की जाती है।</p>
40.	कोटा	24.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा घायल व्यक्ति को उपचार उपलब्ध कराकर जीवन रक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने बावत्।</p> <p>दिनांक 24.5.16 को डिप्टीएसएस कोटा से सूचना प्राप्त होने पर कि सामान्य श्रेणी प्रतिक्षालय मे एक व्यक्ति अचेत अवस्था मे पड़ा है व खून बह रहा है। सूचना पर कोटा पोस्ट से रेसुब. के उपनिरी अनिल कुमार व आर महेन्द्र सिंह मीणा के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे तथा उक्त व्यक्ति को 108 एंबुलेस से तुरंत उपचार हेतु आर महेन्द्र सिंह मीणा के साथ एमबीएस अस्पताल कोटा पहुंचाया गया, जहां उक्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया तथा उसके होश मे आने पर उसने अपना नाम बास सिंह पिता दिलीप सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बलदुआ पोस्ट अमरकोट जिला अमृतसर बताया उक्त व्यक्ति को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। रेल सुरक्षा बल कोटा पोस्ट उपनिरी अनिल कुमार व आर महेन्द्र सिंह मीणा द्वारा तत्परता दिखाते हुए समय पर पहुंच कर यात्री के जीवन की रक्षा करते हुये सराहनीय कार्य किया है।</p>
41.	जबलपुर	24.05.16	<p>(जबलपुर मण्डल/मैहर पोस्ट) रेसुब. द्वारा घायल व्यक्ति को उपचार उपलब्ध कराकर जीवन रक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने बावत्।</p> <p>दिनांक 23.05.2016 को समय 14.05 बजे मैहर रेलवे स्टेशन के सतना छोर की एफओबी मे लगी फेंसिंग जालियों के बारिस व तेज आँधी तूफान से गिरने के कारण वहाँ से निकलने वाले 4 व्यक्तियों को चोटे आने की सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुये निरीक्षक/मैहर पोस्ट श्री विपिन कुमार मय स्टाफ द्वारा उक्त घटना स्थल पर जाकर मौके पर 4 व्यक्तियों को चोटें लगनी पायी गयी, जिन्हे देर न करते हुये तुरंत प्राइवेट आटो से सिविल अस्पताल मैहर मे इलाज हेतु पहुँचाया गया, जहाँ पर डाक्टर द्वारा उपरोक्त सभी घायलों का इलाज किया गया। रेसुब. निरीक्षक श्री विपिन कुमार द्वारा घायलो से पूछताछ करने पर घायलो ने अपना नाम (1) मनीष श्रीवास्तव आत्मज रामकृष्ण श्रीवास्तव उम्र 27 वर्ष कार्यरत युनियन बैंक मैहर टिकिट नं0 83615524 (2) श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 बालगोविंद गोड उम्र 69 वर्ष निवासी—रो इन नगर, कटनी टिकिट नं0 सी 62328041 (3) जय पाल साकेत आत्मज सहदेव साकेत उम्र 40 वर्ष निवासी—रामनगर, थाना रामनगर, जिला सतना जो सूरदास है, (4) कालेजी छात्रा कु0 किरन कुशवाहा पुत्री कृष्णपाल कुावाहा उम्र 22 वर्ष निवासी— हरनामपुर राधाकृष्ण कालोनी, मैहर, जिला सतना। रेसुब. द्वारा तत्परता दिखाते हुए समय पर पहुंच कर यात्री के जीवन की रक्षा करते हुये सराहनीय कार्य किया है।</p>

42.	भोपाल	26.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को उसके पिता को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 26.04.16 को भोपाल स्टेशन के रेसुब. के आरक्षक एस.पी. शर्मा बैग स्कैनर मैन गेट पर तैनात थे तभी मुसाफिर खाने में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। रेसुब. द्वारा बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम नीतेश प्रजापति पुत्र ब्रजमोहन प्रजापति उम्र 11 वर्ष निवासी साँई सिटी कॉलोनी गुना छावनी एवं अपने पिताजी का मोबाईल नं. 8085362339 बताया। आरक्षक एस.पी. शर्मा द्वारा उक्त मोबाईल पर संपर्क करने पर बालक के पिता से संपर्क हुआ एवं पोस्ट पर आने को कहा बाद पिता ने बताया कि बालक घर से लापता हो गया था जिसका गुना कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज थी। बालक के पिता के पोस्ट पर आने पर रेसुब. सउनि चन्दन सिंह द्वारा बालक को उसके पिता को समक्ष गवाहों के समक्ष सुपुर्द किया गया।
43.	भोपाल	26.05.16	(भोपाल मण्डल/भोपाल स्टेशन) रेसुब. द्वारा बीमार महिला को उपचार उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 26.05.16 को भोपाल स्टेशन के आरक्षक बी.एस. परमार बीट क्रमांक 4, 6 इटारसी छोर पर तैनात थे तभी गाड़ी क्रमांक 18244 के भोपाल स्टेशन आने पर सह यात्रियों द्वारा सूचना दी गई कि कोच नं. एस-4 बर्थ नं. 27,28,29 पीएनआर नं. 73082007 एक्स उज्जैन से नागपुर की यात्रा कर रही महिला यात्री की तबियत खराब हो गई है। उक्त सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुये रेसुब. आरक्षक द्वारा महिला यात्री को अटेंड कर पूछताछ करने पर अपना नाम भावना गुर्जर मोबाईल नं. 9850314898 बताया एवं बताया कि वह गंभीर रूप से पेचिस व उल्टी से परेशान है। उक्त महिला को आरक्षक बी.एस. परमार व सउनि चन्दन सिंह द्वारा महिला यात्री को उसके पति के साथ प्राईवेट ऑटो द्वारा जाकिर अली हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती कराया गया एवं समयानुसार मदद प्रदान की गई। महिला एवं उनके पति द्वारा रेसुब. स्टाफ को धन्यवाद दिया गया।
44.	जबलपुर	27.05.16	(जबलपुर मण्डल/जबलपुर पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस ट्रॉली बैग को मालिक को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 27.05.2016 को गाड़ी क्रमांक 11471 ओवर नाईट एक्सप्रेस में 01 महारुन रंग ट्रॉली बैग संदिग्ध हालत में विकलांग कोच में रेसुब. के आरक्षक सुखेंद्र यादव द्वारा देखकर पूछताछ करने पर यात्री द्वारा बताया गया कि कोई छोड़ गया है। रेसुब. आरक्षक सुखेंद्र यादव द्वारा जबलपुर पोस्ट पर सूचना दिये जाने पर रेसुब.के सहायक उपनिरीक्षक एम.पी. मिश्रा मौके पर पहुंचे तो पाया कि उक्त गाड़ी के रिअर एसएलआर के विकलांग कोच में एक ट्रॉली बैग रखा था जिसे दो गवाहों के समक्ष खुलवाया गया जिसमें 3200 रुपये नगद, 01 पुराना मोबाईल व घरेलू कपड़े थे, एनाउन्समेंट कराया गया कि यदि किसी व्यक्ति का बैग छुटा हो रेसुब थाना में संपर्क करें। किसी के नहीं आने पर ट्रॉली बैग को रेसुब पोस्ट जबलपुर में लाया गया वैसे ही एक यात्री विजय विश्वकर्मा पिता स्व. रामेश्वर विश्वकर्मा जो कि इंदौर से जबलपुर की यात्रा कर रहा था पोस्ट पर पहुंचा बताया कि उसका बैग विकलांग कोच में छूट गया था अतः उसके द्वारा बैग की पहचान की गयी। रेसुब सउनि एम.पी.मिश्रा व आरक्षक सुरेंद्र यादव द्वारा उक्त बैग यात्री को दो पंचों के समक्ष सुपुर्द किया गया।
45.	जबलपुर	28.05.16	(जबलपुर मण्डल/सतना पोस्ट) रेसुब. द्वारा महिला को परिवारजनों को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 28.5.2016 को सतना पोस्ट के रेसुब. स.उपनि. मुख्तयार खान को गस्त के दौरान एक महिला प्लेटफार्म 1 पर संदिग्ध अवस्था में दिखाई देने पर स.उपनि. मुख्तयार खान के द्वारा महिला से पूछताछ करने पर महिला ने अपना नाम इन्द्रप्रभा पति राकेश पासवान उम्र 20 साल पता सराठा सभागछी जिला-रहिका मधुवनी बिहार बताया एवं बताया कि वह अपने भाई के साथ से बम्बई जाने वाली है। लेकिन उसका भाई ट्रेन पर नहीं है। रेसुब. द्वारा महिला को पोस्ट पर लाकर बैठाया तभी उक्त महिला के पिता एवं भाई पोस्ट पर आ गये। रेसुब. द्वारा उक्त महिला को परिवारजनों को समक्ष गवाहों के सामने सुपुर्द किया गया।



46.	भोपाल	28.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को मालिक को सौंपने बावत्।</p> <p>दिनांक 27.05.16 को गाडी न. 12644 के कोच न बी.02 सीट न. 41 निजा0 से भोपाल यात्रा कर रही बालिका समृद्धि चौरसिया पुत्री राजेश कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी ए.63 बजारी कॉलोनी कोलार रोड भोपाल जिसका मो.न. 7804857088 ने भोपाल पोस्ट पर आकर स्वयं निरीक्षक भोपाल को शिकायत की थी कि उनका साइड बैग स्काई ब्लू उपरोक्त सीट पर छूट गया है और गाड़ी रवाना हो चुकी है जिसके अन्दर ड्राइविंग लाइसेंस एटीएम कार्ड एसबीआई का और लगभग 3000/रु नगद है। उक्त सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुये तुरंत कन्ट्रोल/भोपाल को नोट कराया गया। उक्त सूचना से निरीक्षक प्रभारी इटारसी को तुरंत अवगत कराया गया। इटारसी स्टाफ द्वारा गाड़ी को अटेंड कर उक्त बैग को तांबे में लिया गया बाद उक्त बैग को भोपाल पोस्ट पर गाड़ी न. 12534 में तैनात स्कॉर्ट पार्टी द्वारा बैग को भोपाल पोस्ट पर लाया गया। रेसुब. द्वारा यात्री से संपर्क कर पोस्ट पर आने को कहा गया। यात्री समृद्धि चौरसिया के पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा उक्त बैग को सुपुर्द कर सराहनीय कार्य किया है।</p>
47.	कोटा	28.05.16	<p>(कोटा मण्डल/मं.सु.नि.कक्ष कोटा) रेसुब. द्वारा ट्रेन में छूटे अमेरिकन टयूरिस्टर बैग को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 28.05.2016 को समय 20.20 बजे यात्री नरेन्द्रनाथ मं. 86 राजीवगांधी नगर कोटा मोबा. 9587924907 द्वारा मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को शिकायत किया कि वह गाड़ी सं. 22981 कोटा-श्रीगंगानगर एक्स. के कोच एस/7 बर्थ 06 पीएनआर-231-8463059 एक्स-कोटा से जयपुर की यात्रा कर रहा था तो वह सवाईमाधोपुर में सामान आदि लेने उतरा था इस दौरान गाड़ी सवाईमाधोपुर से रवाना हो गई, तो मेरा एक अमेरिकन टयूरिस्टर बैग कोच एस/7 बर्थ 06 पर रह गया है जिसमें बुक्स एवं पहनने के कपडे होना बताया। जिसे अगले स्टेशन पर उतरवाने हेतु बताया।</p> <p>मण्डल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष कोटा द्वारा आरपीएफ कन्ट्रोल जयपुर एवं निरीक्षक सवाईमाधोपुर के माध्यम से सूचना देकर गाड़ी को निवाई वनस्थली स्टेशन पर सउनि./आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी द्वारा अटेंड करवाकर बैग को उतरवाया गया एवं यात्री को उनके मोबा. 9587924907 पर सूचना दी गई। बाद यात्री निवाई वनस्थली स्टेशन पहुँचने पर आरपीएफ द्वारा उक्त अमेरिकन टयूरिस्टर बैग को मालिक को सुपुर्द किया गया एवं आरपीएफ की त्वरित कार्यवाही के लिए धन्यवाद दिया गया।</p>
48.	कोटा	28.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा छूटे हुये पर्स को मालिक को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 28.5.16 को रेसुब0 कोटा पोस्ट के उपनिरी राजीव खरब को दौरान गस्त कोटा स्टेशन के वीआईपी गेट के पास एक पर्स मिला जिसे कोटा पोस्ट लाकर पर्स में देखने पर 1330/रु नगदी, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मेडीकल इन्सोरेंस आदि दस्तावेज प्राप्त हुये। रेसुब. द्वारा दस्तावेजों से प्राप्त फोन नं0 पर संपर्क किया तो संजय कुमार से संपर्क हुआ एवं उनके द्वारा पर्स को अपना होना बताया। रेसुब. द्वारा संजय को पोस्ट पर आने को कहा। उक्त व्यक्ति के कोटा पोस्ट पर आने पर रेसुब. द्वारा पर्स को सही हालत में सुपुर्द किया।</p>
49.	भोपाल	29.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/हबीबगंज पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को परिवारजनों को सुपुर्द करन बावत्।</p>

			दिनांक 29.05.16 को हबीबगंज स्टे इन पर ड्यूटी पर तैनात रेसुब. आरक्षक जितेन्द्र मेवारी को गस्त के दौरान पीएफ न. 02/03 पर एक बालक लावारिस हालत में घूमते नजर आया। आरक्षक जितेन्द्र मेवारी द्वारा बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम गौरव पटेल पुत्र राजबहार पटेल उम्र 15 वर्ष निवासी-306/03 बल्लभ नगर भोपाल सतपुडा भवन भोपाल के पास बताया। रेसुब. द्वारा बालक के परिजनो को घर जाकर सूचना दी गई एवं पोस्ट पर आने को कहा। बालक की माँ लीला पटेल पति राजबहार पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी बल्लभ नगर भोपाल हबीबगंज पोस्ट पर हाजिर हुये। रेसुब. अनिरीक्षक धर्मेन्द्र द्वारा उक्त बालक को परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।
50.	भोपाल	29.05.16	(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को परिवारजनों को सुपुर्द करन बावत्। दिनांक 29.05.16 को इटारसी स्टे इन पर रेसुब. के उपनिरी. विजय सिंह व महिला आ. रानु विश्वकर्मा समय 12:40 बजे इटारसी स्टेशन पर गस्त के दौरान पीएफ न. 01 पर एक बालक उम्र 05-06 वर्ष लावारिस हालत में इटारसी स्टेशन पर अकेला घूमता हुआ पाया गया। रेसुब. द्वारा बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम कृष्णा मालवीय पिता श्री लाला राम मालवीय माता जी श्रीमती शीला बाई निवासी विदिशा बताया एवं उसने अपने घर का संपर्क न. 7566892904 बताया। रेसुब. द्वारा उक्त नं. पर संपर्क कर बालक की माँ को सूचना दी एवं इटारसी पोस्ट पर आने को कहा। उक्त बच्चे के माता पिता इटारसी पोस्ट पर उपस्थित होने पर रेसुब. उपनिरी. विजय सिंह द्वारा समस्त गवाहों के समक्ष उक्त बालक को उसके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया।
51.	कोटा	29.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा नाबालिक बालिकओ को चाईल्ड केयर लाईन कोटा को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 29.5.16 को गाड़ी सं. 12182 के कोटा स्टे इन के प्लेटफार्म नं.4 पर आने पर यात्री सोनू टिकट न. 22388585 जयपुर से कोटा द्वारा ड्यूटी पर तैनात स्टाफ प्र.आ. रघुवीर प्रसाद को बताया कि दो नाबालिक लड़कियो ट्रेन पर सफर कर रही है। उक्त सूचना पर प्र.आ. रघुवीर प्रसाद द्वारा कार्यवाही करते हुये दोनो नाबालिक लड़कियो को ट्रेन से उतार कर पोस्ट पर लाया गया। कोटा पोस्ट पर उपनिरी अनिल कुमार ने महिला आ.कमला चौधरी के संरक्षण मे दोनो नाबालिक लड़कियो से पूछताछ किया तो उन्होने अपना नाम क्रम 1: (1.) चोंदनी पुत्री कि गोर उम्र 16 वर्ष ग्राम गोरखा जिला छिंदवाडा म प्र। (2.) सरिता पुत्री सुमेर उम्र 17 वर्ष ग्राम गोरखा जिला छिंदवाडा म.प्र. बताया व बताया कि वे दोनो पुश्कर मेला अजमेर मे अपने परिजनो से बिछुड गई व बाद गाड़ी से कोटा आ गई है। रेसुब. कोटा द्वारा दोनो को चाईल्ड केयर लाईन सदस्य सुश्री य गोदा को सही हालत मे सुपुर्द किया।
52.	कोटा	30.05.16	(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को चाइल्ड लाइन कोटा को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 30.5.16 को दौराने गस्त कोटा स्टे इन पर रेसुब. के उपनिरीक्षक योगेन्द्र भार्मा को वीआईपी गेट के सामने 02 बालक लावारिस हालत मे घूमते पाये जिनसे पूछताछ करने पर अपने मां बाप के साथ जयपुर से कोटा आते समय बिछड़ना बताया। रेसुब. द्वारा बालक को पोस्ट पर लाकर पूछताछ करने पर बालको ने अपना नाम (1) अ गोक कुमार पुत्र मुनुगिया उम्र 12 वर्ष निवासी ग्राम मगरा जिला गया बिहार (2). राहुल पुत्र नंदकि गोर उम्र 14 वर्ष निवासी ग्राम मगरा जिला गया बिहार बताया। बालको के माता-पिता की जानकारी न होने के बाद रेसुब. द्वारा चाइल्ड लाइन कोटा को सूचना दिया गया। बाद चाइल्ड लाइन कोटा के प्रतिनिधी भोलेन्द्र सिंह के कोटा पोस्ट आने पर रेसुब. द्वारा आव यक कार्यवाही पूर्ण कर बालको को चाइल्ड लाइन कोटा के प्रतिनिधी के सुपुर्द किया गया।
53.	भोपाल	30.05.16	(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बैग को मालिक को सुपुर्द करने बावत्। दिनांक 30.05.2016 समय 10.30 बजे गाड़ी संख्या 11072 कामायनी एक्स. के पीएफ नं. 01 से प्रस्थान के पश्चात आरक्षक शमशेर आलम बीट नं. 03,04 व सीसीटीवी रूम से आरक्षक बिले ने इटारसी पोस्ट पर रेसुब. के उपनिरीक्षक विजय सिंह को सूचना पर बताया कि किसी यात्री का बैग पीएफ नं. 02-03 के खंडवा छोर पर छूट गया है। शायद यात्री कामायनी एक्स.से खंडवा की ओर गया है उक्त सूचना पर उपनिरीक्षक विजय सिंह मौके पर पहुंचे तथा बैग को अपने तांबे में लेकर पोस्ट पर लाया गया। समक्ष गवाहान बैग को खोला गया। उसमें 2600/- रु0 नगद, एवं घरेलु सामान था। एक नर्मदा परिक्रमा का प्रमाण पत्र जो श्रीमती लीला बाई पत्नी भागीरथ निवासी दशहरा मैदान बडवाहा जिला खरगोन पाया गया। रेसुब. द्वारा तुरंत सूचना हरदा खिडकिया, खंडवा स्टेशन मास्टर को दिया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति इटारसी पोस्ट पर आया जिसका नाम जितेन्द्र पांडे पुत्र नंद किशोर पांडे उम्र 38 वर्ष निवासी सूरज गंज महेश्वरी भवन के पास उक्त सामान को लीला बाई द्वारा उन्हे लेने भेजा जाना बताया। रेसुब. द्वारा पूर्ण तपतीश उपरांत उक्त सामान को सुपुर्दगी नामा के तहत जितेन्द्र पांडे को सुपुर्द किया गया।

54.	कोटा	30.05.16	<p>(कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस महिला पर्स को महिला को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 30.5.16 को रेसुब0 कोटा पोस्ट के उपनिरी अनिल कुमार को दौरान गस्त कोटा स्टे इन के प्लेटफार्म नं 4 पर गाड़ी सं 14709 को अटैण्ड करने के दौरान एक महिला पर्स मिला जिसमे 1760/रु नगद, एक मोबाइल ,01 पहचान पत्र मिला जिसमें पहचान पत्र के आधार पर रेसुब. उपनिरी अनिल कुमार द्वारा उक्त गाड़ी मे सभी कोचो को मय स्टाफ के साथ चैक करने पर कोच सं एस 6 मे एक महिला यात्री सुलेखा पत्नि मनमोहन बेहरा उम्र 55 वर्ष निवासी-अलीमा बाजार ,एजुकेटल लेन जिला कटक (उडीसा) मिली जिसने पर्स को अपना बताया बाद पर्स को सही हालत मे मय सामान के बराबर सुपुर्द किया। श्रीमानजी उप निरी अनिल कुमार द्वारा किया गया उपरोक्त सराहनीय कार्य है।</p>
55.	भोपाल	31.05.16	<p>(भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बालक को बाल संस्था जीवोदय इटारसी को सुपुर्द करने बावत्।</p> <p>दिनांक 30.05.2016 को राजेन्द्र रैकवार निवासी आरबी-1-738/डी रेलवे कालोनी झांसी द्वारा म.सु.नि. कक्ष को सूचना दी गई कि उनका लड़का नीरज रैकवार घर से भाग गया है, जो गाड़ी संख्या 12782 स्वर्ण जयंती एक्स.में जा रहा है। म.सु.नि.कक्ष द्वारा इटारसी पोस्ट पर सूचना दी गई। उक्त सूचना पर रेसुब. के उपनिरीक्षक विजय सिंह द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुये गाड़ी के इटारसी स्टेशन पर समय 19.35 बजे आने पर उपनिरीक्षक विजय सिंह, आरक्षक शक्ति सिंह, आरक्षक मुकेश समोहा द्वारा अटैण्ड किया गया। जानकारी के अनुसार बालक उम्र लगभग 10-11 वर्ष गाड़ी के अगले विकलांग कोच में मिल गया। रेसुब. द्वारा बालक को पोस्ट पर लाया गया। रेसुब. ने बालक मिलने की सूचना उसके पिता को दी गई। बालक के पिता के पोस्ट पर आने तक बालक को बाल संस्था जीवोदय इटारसी को सुपुर्द किया गया। दिनांक 31.05.2016 को उक्त बच्चे के पिता श्री राजेन्द्र रैकवार को सुपुर्दगीनामा के तहत समक्ष गवाहान बच्चा सुपुर्द किया गया।</p>